

HINDI FILE



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY PRACTICE QUESTIONS

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **JULY 30, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaiias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaiias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

दैनिक अभ्यास प्रश्न - स्थैतिक भाग से

Q1. उन्नीसवीं शताब्दी के भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एकेश्वरवाद का समर्थन करने वाले सुधार आंदोलनों के नेताओं ने बुद्धिवाद (तर्कवाद) को बढ़ावा देने के लिए एकसमान रूप से धर्मग्रंथों के प्रामाणिक अधिकार के सभी रूपों को खारिज कर दिया।
2. उन्नीसवीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों ने न केवल धार्मिक पुनर्व्याख्या में योगदान दिया, बल्कि शिक्षा के प्रसार और सार्वजनिक बहस के माध्यम से आधुनिक राजनीतिक चेतना के उद्भव में भी योगदान दिया।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) दोनों
- (c) कोई नहीं
- (d) दी गई जानकारी से निर्धारण नहीं किया जा सकता

उत्तर: (a) केवल एक

स्पष्टीकरण:

- **कथन 1 गलत है।** सुधारकों का दृष्टिकोण काफी भिन्न था। जबकि कुछ ने तर्क और बुद्धिवाद पर जोर दिया, कई प्राचीन धर्मग्रंथों से ही वैधता प्राप्त करते रहे। उदाहरण के लिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के प्रामाणिक अधिकार का जोरदार समर्थन किया, जबकि राजा राममोहन राय ने उपनिषदों की चयनात्मक व्याख्या की। इसलिए, धार्मिक ग्रंथों के अधिकार को खारिज करने का दृष्टिकोण एकसमान (uniform) नहीं था।
- **कथन 2 सही है।** सुधार आंदोलनों ने बौद्धिक जागरण को प्रेरित किया, आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया, समाचार पत्रों और संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक चर्चा को प्रोत्साहित किया, सामाजिक असमानताओं पर सवाल उठाए और अप्रत्यक्ष रूप से शुरुआती राष्ट्रवाद को पोषित किया।
- **यूपीएससी (UPSC)** अक्सर "एकसमान रूप से" (uniformly), "हमेशा" (always), और "सभी" (all) जैसे शब्दों का परीक्षण करता है, जो आमतौर पर किसी कथन को गलत बनाते हैं।

Q2. निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य प्रजाति (Keystone Species) के पारिस्थितिक महत्व की सबसे अच्छी व्याख्या करता है?

- (a) यह किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम जैवभार (biomass) वाली प्रजाति है।
- (b) यह वह प्रजाति है जिसके विलुप्त होने से पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्यप्रणाली में असमान रूप से बड़ा परिवर्तन आता है।
- (c) यह खाद्य श्रृंखला में सबसे निचले पोषण स्तर (trophic level) पर रहने वाली प्रजाति है।

(d) यह वह प्रजाति है जो केवल चरमोत्कर्ष वनस्पति (climax vegetation) स्थितियों के तहत ही जीवित रहती है।

उत्तर: (b)

स्पष्टीकरण:

- एक मुख्य प्रजाति (Keystone Species) अपनी संख्यात्मक प्रचुरता से कहीं अधिक पारिस्थितिक भूमिका निभाती है।
- इसे हटाने से दूरगामी पारिस्थितिक प्रभाव (cascading effects) शुरू हो सकते हैं, जिससे प्रजातियों की संरचना और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता में भारी बदलाव आ सकता है।
- मुख्य प्रजाति का सबसे प्रचुर या सबसे बड़ा जीव होना आवश्यक नहीं है।
- उदाहरणों में समुद्री ऊदबिलाव (sea otters), भेड़िये, और कई परागणकर्ता जीव शामिल हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखते हैं।

Q3. भारत की राजकोषीय नीति और सार्वजनिक वित्त के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पूंजीगत व्यय (Capital expenditure) का अनिवार्य रूप से परिणाम उसी वित्तीय वर्ष के भीतर उत्पादक परिसंपत्तियों का तत्काल निर्माण होता है।
2. राजस्व घाटा (Revenue deficit) तब भी मौजूद हो सकता है जब राजकोषीय घाटा (Fiscal deficit) बजट अनुमान से कम हो।
3. उच्च बाजार उधारी के माध्यम से वित्तपोषित पूंजीगत व्यय में वृद्धि अनिवार्य रूप से मुद्रास्फीति (Inflation) की ओर ले जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

उत्तर: (a) केवल एक

स्पष्टीकरण:

- **कथन 1 गलत है।** पूंजीगत व्यय का उद्देश्य परिसंपत्ति निर्माण या देनदारियों को कम करना है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि परिसंपत्ति उसी वित्तीय वर्ष के भीतर बनकर तैयार हो जाए या उत्पादक बन जाए।
- **कथन 2 सही है।** राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा सरकारी वित्त के विभिन्न पहलुओं को मापते हैं। उच्च गैर-ऋण प्राप्तियों (non-debt receipts) या कम व्यय के कारण राजकोषीय घाटा कम हो सकता है, जबकि राजस्व घाटा फिर भी बना रह सकता है।

- **कथन 3 गलत है।** पूंजीगत व्यय के लिए उधारी अनिवार्य रूप से मुद्रास्फीति का कारण नहीं बनती है। इसका प्रभाव उत्पादक क्षमता, मौद्रिक नीति, कुल मांग और आपूर्ति-पक्ष की स्थितियों पर निर्भर करता है।
- **यूपीएससी (UPSC)** अक्सर "अनिवार्य रूप से" (necessarily) शब्द के दुरुपयोग का परीक्षण करता है, जिससे कथन 1 और 3 गलत साबित होते हैं।

Q4. भारत में संघ और राज्यों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक ढांचे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले प्रत्येक संवैधानिक संशोधन के लिए राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किए जाने से पहले कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन (ratification) की आवश्यकता होती है।
2. संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा यह घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है।
3. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राज्य सूची पर संसद की विधायी क्षमता तब तक स्वतः ही स्थायी हो जाती है जब तक कि संसद द्वारा विशेष रूप से निरस्त न कर दी जाए।
4. संविधान के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियां (Residuary legislative powers) संसद में निहित हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

उत्तर: (b) केवल दो

स्पष्टीकरण:

- **कथन 1 गलत है।** अनुच्छेद 368 के तहत केवल निर्दिष्ट संवैधानिक संशोधनों, जो संघीय प्रावधानों को प्रभावित करते हैं, के लिए कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। संघीय ढांचे से संबंधित प्रत्येक संशोधन के लिए ऐसे अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है।
- **कथन 2 सही है।** अनुच्छेद 249 के तहत, राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 तिहाई बहुमत द्वारा संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है।
- **कथन 3 गलत है।** राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर संसद की शक्ति अस्थायी होती है और आपातकाल की समाप्ति के बाद निर्धारित संवैधानिक अवधि के बाद समाप्त हो जाती है।
- **कथन 4 सही है।** अनुच्छेद 248 और संघ सूची की प्रविष्टि 97 के तहत, अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद के पास हैं।

Q5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

अभिकथन (A):

भूमध्य रेखा (Equator) पर कोरिओलिस बल (Coriolis force) का कोई प्रभाव नहीं होता है।

कारण I (Reason I):

शून्य अक्षांश पर कोरिओलिस बल का क्षैतिज घटक शून्य हो जाता है।

कारण II (Reason II):

भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का कोणीय वेग (angular velocity) शून्य हो जाता है।

निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है?

- (a) अभिकथन सही है, कारण I सही है, लेकिन कारण II सही नहीं है।
 (b) अभिकथन सही है, लेकिन कारण I और कारण II दोनों सही नहीं हैं।
 (c) अभिकथन सही नहीं है, लेकिन कारण I और कारण II दोनों सही हैं।
 (d) अभिकथन सही है, और कारण I तथा कारण II दोनों सही हैं।

उत्तर: (a)**स्पष्टीकरण:**

- **अभिकथन सही है।** भूमध्य रेखा पर, क्षैतिज गति पर कार्य करने वाला कोरिओलिस बल प्रभावी रूप से शून्य होता है क्योंकि कोरिओलिस पैरामीटर $f=2\Omega\sin\phi$ द्वारा दिया जाता है, और 0 अक्षांश पर, $\sin 0^\circ=0$ होता है।
- **कारण I सही है।** चूंकि अक्षांश शून्य है, इसलिए दाईं या बाईं ओर विक्षेपण (deflection) के लिए जिम्मेदार क्षैतिज विक्षेपक प्रभाव समाप्त हो जाता है।
- **कारण II गलत है।** पृथ्वी का कोणीय वेग Ω पूरी पृथ्वी पर हर जगह स्थिर रहता है। यह भूमध्य रेखा पर शून्य नहीं होता है। कोरिओलिस विक्षेपण की अनुपस्थिति अक्षांश पद ($\sin\phi$) के कारण होती है, न कि इसलिए कि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाता है।
- **यूपीएससी (UPSC)** अक्सर पृथ्वी के स्थिर कोणीय वेग और अक्षांश-निर्भर कोरिओलिस पैरामीटर के बीच भ्रम का लाभ उठाकर ऐसे प्रश्न तैयार करता है।

दैनिक अभ्यास प्रश्न – करंट अफेयर्स अनुभाग से

Q1. लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संशोधन विधेयक "सार्वजनिक परीक्षा" की परिभाषा का विस्तार करता है, ताकि राज्य विधानमंडलों के तहत गठित वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं को इसमें शामिल किया जा सके, बशर्ते उन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो।
2. आपराधिक दंड निर्धारित करने के अलावा, संशोधन विधेयक नामित प्राधिकरण को संगठित परीक्षा धोखाधड़ी से प्राप्त संपत्ति को कुर्क (attach) करने और जब्त (confiscate) करने का अधिकार देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) दोनों
- (c) कोई नहीं
- (d) दी गई जानकारी से निर्धारण नहीं किया जा सकता

उत्तर: (a)

स्पष्टीकरण:

- **कथन 1 गलत है।** संशोधन विधेयक मुख्य रूप से केंद्रीय ढांचे के तहत अधिसूचित परीक्षाओं से संबंधित है। राज्य स्तरीय परीक्षाओं को केवल इसलिए स्वतः इसके दायरे में नहीं लाया जाता है क्योंकि वे वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा आयोजित की जाती हैं।
- **कथन 2 सही है।** इसका एक मुख्य उद्देश्य अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने सहित मजबूत वित्तीय निरोध को सक्षम करके संगठित परीक्षा धोखाधड़ी पर रोक लगाना है।
- **यूपीएससी (UPSC)** आमतौर पर "स्वतः" (automatically), "सभी" (all), "प्रत्येक" (every), "केवल" (only) जैसे शब्दों को शामिल करके प्रश्न तैयार करता है, जिससे कथन भ्रामक रूप से गलत हो जाते हैं।

Q2. सप्ताह में एक बार दी जाने वाली बेसल इंसुलिन आविकली (Awiqli) का प्राथमिक उद्देश्य है:

- (a) प्रत्येक भोजन से पहले ली जाने वाली रैपिड-एक्टिंग इंसुलिन को प्रतिस्थापित करना।
- (b) मधुमेह प्रबंधन के लिए सप्ताह में एक बार खुराक की अनुसूची के साथ लंबे समय तक काम करने वाला बेसल इंसुलिन कवरेज प्रदान करना।
- (c) टाइप-1 मधुमेह में क्षतिग्रस्त अग्न्याशय की बीटा-कोशिकाओं (β -cells) को स्थायी रूप से पुनर्जीवित करना।
- (d) मधुमेह रोगियों में रक्त शर्करा (ब्लड ग्लूकोज) की निगरानी की आवश्यकता को समाप्त करना।

उत्तर: (b)

स्पष्टीकरण:

- आविकली (Awikli) एक सप्ताह में एक बार ली जाने वाली बेसल इंसुलिन है, जिसे दीर्घकालिक ग्लाइसेमिक नियंत्रण में सुधार करने और इंजेक्शन की आवृत्ति को कम करने के लिए विकसित किया गया है।
- यह आवश्यकता पड़ने पर भोजन के समय ली जाने वाली इंसुलिन का विकल्प नहीं है।
- यह अग्न्याशय की कोशिकाओं को पुनर्जीवित नहीं करता है।
- रक्त शर्करा की निगरानी मधुमेह प्रबंधन का एक अनिवार्य घटक बनी रहती है।

Q3. PaBV-4 (पैरेट बोर्नवायरस-4) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. PaBV-4 मुख्य रूप से सिटसिन (तोता प्रजाति के) पक्षियों को संक्रमित करता है और प्रोवेंट्रिकुलर डिलेटेशन डिजीज (PDD) से जुड़ा हुआ है।
2. इस बात के निर्णायक वैज्ञानिक साक्ष्य हैं कि PaBV-4 प्राकृतिक रूप से निरंतर मानव-से-मानव में संचरण का कारण बनता है।
3. PaBV-4 बोर्नाविरिडे (Bornaviridae) परिवार से संबंधित है, जिसके सदस्य न्यूरोट्रॉपिक आरएनए (RNA) वायरस हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

उत्तर: (b)

स्पष्टीकरण:

- **कथन 1 सही है।** PaBV-4 तोतों और संबंधित पक्षियों में प्रोवेंट्रिकुलर डिलेटेशन डिजीज (PDD) से दृढ़ता से जुड़ा हुआ है।
- **कथन 2 गलत है।** वर्तमान में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो निरंतर प्राकृतिक मानव-से-मानव संचरण की पुष्टि करता हो।
- **कथन 3 सही है।** बोर्नवायरस, बोर्नाविरिडे परिवार से संबंधित न्यूरोट्रॉपिक नेगेटिव-सेंस आरएनए (RNA) वायरस हैं।
- **यूपीएससी (UPSC)** अक्सर वैज्ञानिक साक्ष्य की अनुपस्थिति पर आधारित कथनों को शामिल करता है, जिससे वे अत्यधिक विश्लेषणात्मक बन जाते हैं।

Q4. CE20 क्रायोजेनिक इंजन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. CE20 भारत का पहला स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन है जिसे विशेष रूप से LVM3 प्रक्षेपण यान के ऊपरी चरण (upper stage) के लिए विकसित किया गया है।
2. यह इंजन प्रणोदक (propellants) के रूप में तरल ऑक्सीजन (LOX) और तरल हाइड्रोजन (LH2) का उपयोग करता है।
3. दहन उत्पादों के उच्च निकास वेग (exhaust velocity) के कारण क्रायोजेनिक इंजन आमतौर पर सामान्य तापमान पर संग्रहीत तरल प्रणोदक इंजनों की तुलना में उच्च विशिष्ट आवेग (specific impulse) प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

उत्तर: (c)

स्पष्टीकरण:

- **कथन 1 सही है।** CE20 LVM3 के क्रायोजेनिक अपर स्टेज (CUS) को शक्ति प्रदान करता है।
- **कथन 2 सही है।** यह LOX और LH2 का उपयोग करता है, जो कि मानक क्रायोजेनिक प्रणोदक संयोजन है।
- **कथन 3 सही है।** क्रायोजेनिक प्रणोदन उच्चतम विशिष्ट आवेगों में से एक प्रदान करता है, जो इसे ऊपरी चरण के मिशनों के लिए आदर्श बनाता है।
- **यूपीएससी (UPSC)** अक्सर तथ्यात्मक पुनरावृत्ति के बजाय प्रणोदन तकनीक को वैचारिक भौतिकी से जोड़ता है।

Q5. उल्लास (ULLAS - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम) पहल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
2. यह छात्रों, शिक्षकों और सामुदायिक भागीदारी को शामिल करते हुए एक स्वयंसेवक-आधारित शिक्षण मॉडल को अपनाता है।
3. इसे जीवन भर सीखने (lifelong learning) पर जोर देने के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के प्रावधानों के तहत लागू किया गया है।
4. यह कार्यक्रम विशेष रूप से डिजिटल साक्षरता तक सीमित है और इसमें व्यावसायिक या जीवन-कौशल घटक शामिल नहीं हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

उत्तर: (c)

स्पष्टीकरण:

- **कथन 1 सही है।** उल्लास वयस्क शिक्षार्थियों (15 वर्ष और उससे अधिक) को लक्षित करता है।
- **कथन 2 सही है।** यह स्वयंसेवकों और शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से जन भागीदारी को बढ़ावा देता है।
- **कथन 3 सही है।** यह आजीवन सीखने के लिए NEP 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- **कथन 4 गलत है।** उल्लास में साक्षरता, संख्यात्मकता, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय जागरूकता, जीवन कौशल और व्यावसायिक घटक शामिल हैं।
- **यूपीएससी (UPSC)** अक्सर किसी कार्यक्रम के दायरे को संकीर्ण करके एक भ्रामक कथन तैयार करता है।

Q6. कुक जलडमरूमध्य (Cook Strait) के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

कुक जलडमरूमध्य किसको अलग करता है?

- (a) न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप
- (b) तस्मानिया और मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया
- (c) ग्रीनलैंड और आइसलैंड
- (d) जापान का होंशू और होक्काइडो

उत्तर: (a)

स्पष्टीकरण:

- कुक जलडमरूमध्य पानी की वह संकीर्ण पट्टी है जो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग करती है।
- यह तस्मान सागर को दक्षिण प्रशांत महासागर से जोड़ता है।
- तेज ज्वारीय धाराओं और हवाओं के कारण यह दुनिया के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और मौसम संबंधी रूप से चुनौतीपूर्ण जलडमरूमध्य में से एक है।
- **यूपीएससी (UPSC)** ने महत्वपूर्ण जलडमरूमध्य, चैनलों और दर्रे से जुड़े मानचित्र-आधारित प्रश्न पूछना बढ़ा दिया है, जिससे स्थान-आधारित वैचारिक स्पष्टता आवश्यक हो जाती है।

दैनिक अभ्यास हेतु विषय आधारित प्रश्न

मुख्य परीक्षा (GS Paper-I | 15 अंक | 250 शब्द)

Q.1 "1857 का विद्रोह न तो केवल एक सैन्य विद्रोह था और न ही एक पूरी तरह से विकसित राष्ट्रीय आंदोलन; बल्कि, यह राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और सामाजिक-सांस्कृतिक शिकायतों का एक जटिल अभिसरण (convergence) था।" समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक)

नमूना उत्तर

परिचय

1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर सशस्त्र चुनौती का प्रतीक था। हालांकि इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सिपाहियों के विद्रोह से हुई थी, लेकिन यह तेजी से एक व्यापक जन-विद्रोह में बदल गया जिसमें उत्तरी और मध्य भारत के बेदखल शासक, किसान, जमींदार, कारीगर और शहरी आबादी के वर्ग शामिल हो गए। इतिहासकारों ने इसके बहुआयामी स्वरूप को दर्शाते हुए इसे "सिपाही विद्रोह", "किसान विद्रोह", "स्वतंत्रता का पहला संग्राम" और एक क्षेत्रीय औपनिवेशिक विरोधी विद्रोह के रूप में भिन्न-भिन्न व्याख्याएं दी हैं।

राजनीतिक कारण

- व्यपगत का सिद्धांत (Doctrine of Lapse):** इसके तहत झांसी और सतारा जैसी रियासतों का विलय कर लिया गया, जिससे भारतीय शासकों में गहरा असंतोष व्याप्त हुआ।
- अवध का विलय (1856):** इससे न केवल सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग बल्कि उस क्षेत्र से भर्ती किए गए तालुकदार और सैनिक भी असंतुष्ट हो गए।
- मुगल सम्राट की गरिमा में गिरावट:** मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की प्रतीकात्मक सत्ता को ब्रिटिश नीतियों द्वारा लगातार कमजोर किया गया, जिससे पारंपरिक राजनीतिक वैधता को ठेस पहुंची।

आर्थिक कारण

- अत्यधिक भू-राजस्व व्यवस्था:** भारी करों के बोझ ने किसानों को तबाह कर दिया और पारंपरिक भू-स्वामी वर्गों को कमजोर कर दिया।
- हस्तशिल्प का पतन:** ब्रिटिश औद्योगिक आयात के कारण पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गया, जिससे कारीगरों में व्यापक बेरोजगारी फैली।
- कृषि का व्यवसायीकरण:** कृषि के जबरन व्यवसायीकरण ने ग्रामीण ऋणग्रस्तता को बढ़ाया और कृषि संकट को अधिक गंभीर बना दिया।

सैन्य कारण

- भेदभावपूर्ण नीतियां:** भारतीय सिपाहियों के साथ वेतन, पदोन्नति और सेवा शर्तों में नस्लीय भेदभाव किया जाता था।

- **सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम (1856):** इसने समुद्र पार तैनाती की आशंकाएं पैदा कीं, जो तत्कालीन प्रचलित धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध थीं।
- **एनफील्ड राइफल का मामला:** एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगे होने की अफवाह विद्रोह का तात्कालिक कारण बनी।

सामाजिक-धार्मिक कारण

- **सामाजिक सुधारों पर संदेह:** सती प्रथा के उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने जैसे प्रगतिशील सुधारों को कई लोगों द्वारा पारंपरिक रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप के प्रयास के रूप में देखा गया।
- **ईसाई मिशनरी गतिविधियां:** मिशनरियों के आक्रामक प्रचार ने जबरन धर्म परिवर्तन की आशंका पैदा की।
- **अफवाहों का प्रसार:** अविश्वास के माहौल में अफवाहें तेजी से फैलीं, जिसने जन-प्रतिरोध को तीव्र कर दिया।

इसे एक पूरी तरह से विकसित 'राष्ट्रीय आंदोलन' क्यों नहीं माना जा सकता?

- **सीमित भौगोलिक विस्तार:** भागीदारी मुख्य रूप से उत्तरी और मध्य भारत तक केंद्रित रही, जबकि दक्षिणी और पूर्वी भारत के बड़े हिस्से इससे काफी हद तक अप्रभावित रहे।
- **रियासतों की भूमिका:** हैदराबाद, पटियाला और ग्वालियर (शुरुआत में) सहित कई देशी रियासतों ने अंग्रेजों का समर्थन किया।
- **एकीकृत नेतृत्व का अभाव:** इसमें कोई एकीकृत राष्ट्रीय नेतृत्व, साझा राजनीतिक कार्यक्रम या समन्वित कमान ढांचा नहीं था।
- **भिन्न-भिन्न उद्देश्य:** विभिन्न प्रतिभागियों के लक्ष्य अलग-अलग थे—राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बजाय पुराने राज्यों की बहाली, पारंपरिक विशेषाधिकारों की सुरक्षा या स्थानीय शिकायतों का निवारण।

यह 'केवल सिपाही विद्रोह' से अधिक क्यों था?

- **व्यापक जन-समर्थन:** यह विद्रोह छावनियों से आगे बढ़कर किसानों, जमींदारों, कारीगरों और स्थानीय शासकों तक फैल गया।
- **नागरिकों का लामबंदी:** रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बेगम हज़रत महल, नाना साहेब और तात्या टोपे जैसे नेताओं ने नागरिक आबादी को संगठित किया।
- **व्यापक चुनौती:** इस विद्रोह ने कई महीनों तक विशाल क्षेत्रों पर ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता को प्रभावी रूप से चुनौती दी।
- **प्रशासनिक प्रभाव:** इसने ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों और औपनिवेशिक शासन के स्वरूप को मौलिक रूप से बदल दिया।

परिणाम

- **कंपनी शासन का अंत:** भारत सरकार अधिनियम, 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और शासन की बागडोर सीधे ब्रिटिश क्राउन (राजमुकुट) के हाथ में चली गई।
- **सेना का पुनर्गठन:** अंग्रेजों ने यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाकर और "फूट डालो और राज करो" की नीति अपनाकर सेना का पुनर्गठन किया।

- **नीतियों में बदलाव:** देशी रियासतों और धार्मिक रीति-रिवाजों के प्रति अधिक सतर्कता बरती गई।
- **निगरानी में वृद्धि:** आक्रामक विलय की नीतियों को रोक दिया गया, जबकि प्रशासनिक केंद्रीकरण और निगरानी बढ़ा दी गई।

निष्कर्ष

1857 का विद्रोह औपनिवेशिक शासन के विरोध में एकजुट विविध सामाजिक समूहों के एक व्यापक गठबंधन का प्रतिनिधित्व करता था, भले ही उनकी आकांक्षाएं एक समान नहीं थीं। इसमें उस वैचारिक एकजुटता और अखिल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का अभाव था जो बीसवीं शताब्दी के स्वतंत्रता आंदोलन की विशेषता बनी। इसके बावजूद, यह भारत के औपनिवेशिक विरोधी इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बना हुआ है क्योंकि इसने औपनिवेशिक सत्ता की सीमाओं को उजागर किया, ब्रिटिश शासन को नया आकार दिया और राष्ट्रवादियों की भावी पीढ़ियों को प्रेरित किया।

मूल्य संवर्धन (Value Addition)

इतिहासलेखन के दृष्टिकोण (Historiographies)

इतिहासकार	व्याख्या
आर.सी. मजूमदार	मुख्य रूप से सीमित राष्ट्रीय चरित्र वाला एक सैन्य विद्रोह।
वी.डी. सावरकर	भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम।
एस.एन. सेन	क्षेत्रीय विविधताओं वाला एक लोकप्रिय जन-विद्रोह।
एरिक स्टोक्स	किसान भागीदारी और कृषि संबंधी शिकायतों पर अत्यधिक जोर।

यूपीएससी मूल्य संवर्धन बिंदु

- **तात्कालिक कारण:** एनफील्ड राइफल के कारतूस।
- **राजनीतिक प्रतीक:** बहादुर शाह जफर।
- **प्रमुख केंद्र:** दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, आरा।
- **विधायी परिणाम:** भारत सरकार अधिनियम, 1858।
- **दीर्घकालिक प्रभाव:** कंपनी शासन का अंत और क्राउन शासन की शुरुआत।

मुख्य परीक्षा (GS Paper-II | 15 अंक | 250 शब्द)

Q.2 "भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाएं राजनीतिक स्वायत्तता की मांगों से विकसित होकर न्यायसंगत विकास और सहयोगात्मक संघवाद के दावों में बदल गई हैं। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को

समायोजित करने के लिए अपनाए गए संवैधानिक तंत्रों की चर्चा कीजिए। बनी रहने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।" (15 अंक)

नमूना उत्तर

परिचय

भारत राज्यों का एक संघ (Union of States) है जो भाषा, जातीयता, धर्म, भूगोल और सामाजिक-आर्थिक विकास में अत्यधिक विविधता से समृद्ध है। स्वतंत्रता के बाद से, क्षेत्रीय आकांक्षाएं इस विविधता के स्वाभाविक परिणाम के रूप में उभरी हैं। जहां कुछ आंदोलनों ने अलग राज्यों या अधिक स्वायत्तता की मांग की, वहीं अन्य ने सांस्कृतिक पहचान की मान्यता, न्यायसंगत संसाधन आवंटन और संतुलित क्षेत्रीय विकास की मांग की। भारतीय संविधान ने अपने लचीले संघीय ढांचे के माध्यम से राष्ट्रीय अखंडता से समझौता किए बिना इन आकांक्षाओं को सफलतापूर्वक समायोजित किया है।

क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समायोजित करने के लिए संवैधानिक और संस्थागत तंत्र

1. लचीला संघीय ढांचा

- **अनुच्छेद 1-4:** संसद को प्रशासनिक और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्यों का पुनर्गठन करने का अधिकार देते हैं।
- **नए राज्यों का गठन:** गुजरात (1960), छत्तीसगढ़ (2000), तेलंगाना (2014) आदि राज्यों का निर्माण संवैधानिक लचीलेपन को दर्शाता है।

2. भाषाई पुनर्गठन

- **राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956:** इसने बड़े पैमाने पर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया।
- **भाषाई पहचान:** क्षेत्रीय भाषाओं की मान्यता ने भाषाई संघर्षों को कम करते हुए लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत किया।

3. विशेष संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 371 से 371J:** क्षेत्र-विशेष की विकासात्मक और प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कई राज्यों को विशेष प्रावधान प्रदान करते हैं।
- **छठी अनुसूची:** पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों में जनजातीय समुदायों के हितों की रक्षा के लिए स्वायत्त परिषदों का गठन।

4. सहयोगात्मक संघीय संस्थाएं

- **अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263):** केंद्र और राज्यों के बीच परामर्श और समन्वय को बढ़ावा देती है।
- **वित्त आयोग (अनुच्छेद 280):** न्यायसंगत राजकोषीय हस्तांतरण सुनिश्चित करता है।
- **जीएसटी परिषद:** सहयोगात्मक राजकोषीय संघवाद का एक उत्कृष्ट मॉडल है।
- **नीति आयोग की शासी परिषद:** सहभागितापूर्ण नीति निर्माण को प्रोत्साहित करती है।

5. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

- **73वां और 74वां संशोधन:** इन्होंने स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया, जिससे शासन में जमीनी स्तर की भागीदारी संभव हुई।

क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्यों बढ़ती रहती हैं?

- असमान क्षेत्रीय विकास और निरंतर आर्थिक विषमताएं।
- राज्यों द्वारा अधिक राजकोषीय स्वायत्तता की मांग।
- भाषा, जातीयता और संस्कृति में निहित पहचान-आधारित आंदोलन।
- प्रवासन से जनसांख्यिकीय परिवर्तन, जिससे स्थानीय राजनीतिक लामबंदी होती है।
- नदियों, जंगलों और खनिजों को लेकर अंतर-राज्यीय संसाधन-साझाकरण विवाद।

प्रमुख चुनौतियाँ

राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism)

- राज्य कराधान और व्यय में अधिक लचीलेपन की मांग कर रहे हैं।
- वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल राजकोषीय असंतुलन को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

केंद्र-राज्य संबंध

- राज्यपाल की भूमिका पर बार-बार उठने वाले विवाद।
- अनुच्छेद 356 जैसे संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग के आरोप।
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं और नीतिगत प्राथमिकताओं में अंतर।

अंतर-राज्य विवाद

- नदियाँ जल विवाद (जैसे कावेरी, सतलुज-यमुना लिंक)।
- सीमा विवाद (जैसे कर्नाटक-महाराष्ट्र)।
- निवेश और प्राकृतिक संसाधनों के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा।

क्षेत्रवाद बनाम राष्ट्रीय एकीकरण

- अत्यधिक क्षेत्रीय लामबंदी कभी-कभी रणनीतिक या विकासात्मक मुद्दों पर राष्ट्रीय सहमति को कमजोर कर सकती है।
- यदि संवैधानिक सीमाओं के भीतर प्रबंधित न किया जाए तो पहचान की राजनीति सामाजिक तनाव को भड़का सकती है।

समालोचनात्मक परीक्षण

भारत का संघीय मॉडल अक्सर "साथ जोड़कर रखने वाला संघवाद" (holding together federalism) कहलाता है, जो संप्रभु इकाइयों के एक साथ आने से बने संघों से अलग है। यह ढांचा जबरदस्ती के बजाय लोकतांत्रिक समायोजन के माध्यम से पृथक्तावाद को रोकने में काफी हद तक सफल रहा है।

हालांकि, केवल संवैधानिक प्रावधान ही क्षेत्रीय आकांक्षाओं का पूर्ण समाधान नहीं कर सकते। टिकाऊ समाधान के लिए आवश्यक है:

- संतुलित क्षेत्रीय विकास।
- पारदर्शी राजकोषीय हस्तांतरण।
- सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धी संघवाद को मजबूत करना।
- सांस्कृतिक विविधता का सम्मान।
- केंद्र और राज्यों के बीच निरंतर राजनीतिक संवाद।

जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था और समाज का विकास हो रहा है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं न केवल पहचान से बल्कि शासन की गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे, रोजगार और मानव विकास से भी तेजी से जुड़ रही हैं।

निष्कर्ष

क्षेत्रीय आकांक्षाएं राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा होने के बजाय भारत की लोकतांत्रिक और संघीय व्यवस्था की एक अंतर्निहित विशेषता हैं। संविधान राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को सुरक्षित रखते हुए विविधता को समायोजित करने के लिए पर्याप्त लचीलापन प्रदान करता है। आगे बढ़ते हुए, सहयोगात्मक संघवाद को मजबूत करना, न्यायसंगत विकास सुनिश्चित करना और संस्थागत संवाद को बढ़ावा देना क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समावेशी राष्ट्रीय प्रगति के इंजनों में बदलने के लिए आवश्यक होगा।

मूल्य संवर्धन (Value Addition)

संवैधानिक प्रावधान

प्रावधान	महत्व
अनुच्छेद 1	भारत अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा।
अनुच्छेद 2-4	नए राज्यों का प्रवेश, गठन और राज्यों का पुनर्गठन।
अनुच्छेद 263	अंतर-राज्य परिषद (समन्वय हेतु)।
अनुच्छेद 280	वित्त आयोग (राजकोषीय वितरण)।
अनुच्छेद 371-371J	विशिष्ट राज्यों के लिए विशेष प्रावधान।
छठी अनुसूची	जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त प्रशासन।

महत्वपूर्ण समितियाँ/आयोग

- राज्य पुनर्गठन आयोग (1953)

- सरकारीया आयोग (1983)
- पुंछी आयोग (2007)
- वित्त आयोग (संवैधानिक निकाय)
- नीति आयोग (सहयोगात्मक संघवाद)

मुख्य परीक्षा (GS Paper-III | 15 अंक | 250 शब्द)

Q.3 "2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की भारत की आकांक्षा केवल बुनियादी ढांचे के विस्तार पर नहीं बल्कि लचीली, टिकाऊ और तकनीक-संचालित अवसंरचना प्रणालियों के निर्माण पर निर्भर करती है।" आर्थिक विकास में बुनियादी ढांचे की भूमिका की चर्चा कीजिए। प्रमुख चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और भारत में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप का सुझाव दीजिए। (15 अंक)

नमूना उत्तर

परिचय

बुनियादी ढांचा (Infrastructure) उत्पादन, व्यापार, निवेश और जीवन की गुणवत्ता में सुधार की सुविधा प्रदान करके आर्थिक विकास की रीढ़ बनता है। एनसीईआरटी (NCERT) के अनुसार, बुनियादी ढांचे में भौतिक अवसंरचना (परिवहन, ऊर्जा, संचार, सिंचाई, जलापूर्ति) और सामाजिक अवसंरचना (शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा) शामिल हैं। जैसे-जैसे भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र (विकसित भारत) बनने का लक्ष्य रखता है, ध्यान केवल बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के निर्माण से हटकर ऐसी प्रणालियों के निर्माण पर केंद्रित हो गया है जो कुशल, जलवायु-अनुकूल, डिजिटल रूप से एकीकृत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी हों।

आर्थिक विकास में बुनियादी ढांचे का महत्व

1. आर्थिक वृद्धि को गति देना

- रसद (logistics) और लेनदेन की लागत को कम करता है।
- कृषि, उद्योग और सेवाओं की उत्पादकता में सुधार करता है।
- अनुकूल व्यावसायिक माहौल बनाकर घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करता है।

2. रोजगार सृजन

- बुनियादी ढांचा निर्माण बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करता है।
- सीमेंट, स्टील, परिवहन और इंजीनियरिंग जैसे संबद्ध उद्योगों में मांग बढ़ाता है।

3. क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा

- राजमार्ग, रेलवे और डिजिटल कनेक्टिविटी पिछड़े क्षेत्रों को राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ते हैं।
- बेहतर कनेक्टिविटी क्षेत्रीय विषमताओं को कम करती है और संतुलित विकास को बढ़ावा देती है।

4. मानव विकास में सुधार

- विश्वसनीय बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा का बुनियादी ढांचा जीवन स्तर में सुधार करता है।
- डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तीय समावेशन, सुशासन और शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाता है।

5. रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती

- सीमावर्ती सड़कें, बंदरगाह, हवाई अड्डे और संचार नेटवर्क सैन्य तैयारी और आपदा प्रतिक्रिया में सुधार करते हैं।
- समुद्री बुनियादी ढांचा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका को मजबूत करता है।

प्रमुख चुनौतियाँ

वित्तपोषण की समस्या (Financing)

- इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए लंबी अवधि के साथ भारी पूंजीगत निवेश की आवश्यकता होती है।
- सीमित राजकोषीय स्थान सार्वजनिक निवेश को सीमित करता है।

भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास

- कानूनी विवादों, मुआवजे के मुद्दों और पर्यावरणीय स्वीकृतियों के कारण देरी।
- घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सामाजिक प्रतिरोध।

परियोजना में देरी और लागत में वृद्धि (Cost Overruns)

- प्रशासनिक बाधाएं और लालफीताशाही।
- संविदात्मक विवाद (Contractual disputes)।
- कई एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी।

शहरी बुनियादी ढांचे का अभाव

- तीव्र शहरीकरण बुनियादी ढांचे के निर्माण से आगे निकल गया है।
- भीड़भाड़, अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन, खराब कचरा प्रबंधन और पानी की कमी बड़ी चिंताएं बनी हुई हैं।

जलवायु परिवर्तन और स्थिरता

- बुनियादी ढांचा बाढ़, चक्रवात, लू और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के प्रति संवेदनशील है।
- भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में जलवायु लचीलेपन (climate resilience) को शामिल करना अनिवार्य है।

सरकारी पहलें

- पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान: एकीकृत मल्टीमॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए।
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP): प्रमुख क्षेत्रों में निवेश में तेजी लाने के लिए।
- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP): कुशल संपत्ति उपयोग के लिए।
- भरतमूल परियोजना: राजमार्ग विकास के लिए।
- सागरमाला कार्यक्रम: बंदरगाह-आधारित विकास के लिए।

- **डेडicated फ्रेट कॉरिडोर (DFCs):** माल ढुलाई रसद में सुधार के लिए।
- **स्मार्ट सिटीज मिशन:** टिकाऊ शहरी बुनियादी ढांचे के लिए।
- **डिजिटल इंडिया और भारतनेट:** डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए।

विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के लिए रोडमैप

एकीकृत योजना (Integrated Planning)

- जीआईएस-आधारित योजना और अंतर-मंत्रालयी समन्वय को अपनाएं।
- मल्टीमॉडल परिवहन एकीकरण सुनिश्चित करें।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को मजबूत करना

- जोखिम-साझाकरण तंत्र (risk-sharing mechanisms) में सुधार करें।
- इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) और पेंशन फंड के माध्यम से संस्थागत निवेश को प्रोत्साहित करें।

हरित अवसंरचना (Green Infrastructure)

- नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को बढ़ावा दें।
- इलेक्ट्रिक Mobility इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहित करें।
- जलवायु-अनुकूल सड़कों, पुलों और शहरी प्रणालियों का विकास करें।

डिजिटल रूपांतरण

- इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और रखरखाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), डिजिटल ट्विन्स और बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग (BIM) का विस्तार करें।
- महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की साइबर सुरक्षा में सुधार करें।

शासन संबंधी सुधार

- विवादों का तेजी से निवारण।
- एकल-खिड़की (Single-window) परियोजना स्वीकृतियां।
- डिजिटल डैशबोर्ड का उपयोग करके प्रदर्शन-आधारित निगरानी।

निष्कर्ष

बुनियादी ढांचा केवल एक आर्थिक संपत्ति नहीं है, बल्कि समावेशी विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक रणनीतिक सक्षमकर्ता है। एक विकसित अर्थव्यवस्था में भारत का परिवर्तन ऐसे बुनियादी ढांचे की मांग करता है जो स्मार्ट, टिकाऊ, लचीला और तकनीक-संचालित हो। निरंतर नीतिगत सुधारों, अधिक निजी भागीदारी और कुशल परियोजना निष्पादन के साथ, भारत पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित करते हुए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पारिस्थितिकी तंत्र को दीर्घकालिक आर्थिक विकास के एक शक्तिशाली इंजन में बदल सकता है।

Q.4 "नैतिक नेतृत्व की परीक्षा तब नहीं होती जब फैसले आसान होते हैं, बल्कि तब होती है जब जनहित का राजनीतिक दबाव, व्यक्तिगत संबंधों और संस्थागत बाधाओं के साथ टकराव होता है।" लोक प्रशासन में नैतिक नेतृत्व के महत्व की चर्चा कीजिए। एक लोक सेवक परस्पर विरोधी मूल्यों और प्रतिस्पर्धी हितधारकों के हितों से निपटते हुए नैतिक शासन को कैसे बनाए रख सकता है, व्याख्या कीजिए। (15 अंक)

नमूना उत्तर

परिचय

नैतिक नेतृत्व (Ethical Leadership) से तात्पर्य कठिन परिस्थितियों में भी सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, जवाबदेही, पारदर्शिता और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर निर्णय लेने की लोक सेवक की क्षमता से है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, शासन की वैधता न केवल कानून पर बल्कि नैतिक आचरण पर भी निर्भर करती है। जैसा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने कल्पना की थी, सिविल सेवक भारत का "स्टील फ्रेम" हैं, जिन्हें व्यक्तिगत या राजनीतिक विचारों से ऊपर संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने का काम सौंपा गया है।

लोक प्रशासन में नैतिक नेतृत्व का महत्व

1. संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखना

- यह सुनिश्चित करता है कि शासन पक्षपातपूर्ण हितों के बजाय संविधान द्वारा निर्देशित हो।
- न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांतों की रक्षा करता है।

2. जनता का विश्वास कायम करना

- नैतिक आचरण सरकारी संस्थानों में नागरिकों के विश्वास को बढ़ाता है।
- पारदर्शिता और निष्पक्षता लोकतांत्रिक वैधता को मजबूत करती है।

3. सुशासन को बढ़ावा देना

नैतिक नेतृत्व निम्नलिखित को सुनिश्चित करता है:

- जवाबदेही (Accountability)
- पारदर्शिता (Transparency)
- संवेदनशीलता (Responsiveness)
- कानून का शासन (Rule of Law)
- नागरिक-केंद्रित प्रशासन (Citizen-centric administration)

ये सुशासन के मूल स्तंभ हैं।

4. भ्रष्टाचार को रोकना

- सत्यनिष्ठा (Integrity) सार्वजनिक पद के दुरुपयोग को हतोत्साहित करती है।
- नैतिक अधिकारी भ्रष्टाचार-प्रतिरोधी संस्थागत संस्कृति का निर्माण करते हैं।

5. निष्पक्ष निर्णय लेने में सहायक

लोक अधिकारियों को अक्सर परस्पर विरोधी दावों का सामना करना पड़ता है:

- आर्थिक विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण
- बहुसंख्यक कल्याण बनाम अल्पसंख्यक अधिकार
- राजनीतिक निर्देश बनाम संवैधानिक सिद्धांत

नैतिक तर्क जनहित के आधार पर संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

लोक सेवकों द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक दुविधाएं

राजनीतिक दबाव

- अवैध स्थानांतरण या पदस्थापना के अनुरोध।
- पसंदीदा व्यक्तियों को ठेके/अनुबंध देना।
- विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग।

हितों का टकराव (Conflict of Interest)

- आधिकारिक निर्णयों को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत संबंध।
- उपहार या सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों की स्वीकृति।

संसाधन बाधाएं

- सीमित बजट जिसके लिए कठिन प्राथमिकता निर्धारण की आवश्यकता होती है।
- समानता के साथ दक्षता का संतुलन।

जन अपेक्षाएं

- प्रक्रियात्मक अनुपालन के बजाय तत्काल राहत की मांग।
- कानूनी रूप से टिकाऊ निर्णयों के बजाय लोकप्रिय निर्णय।

संघर्षों को सुलझाने के लिए नैतिक सिद्धांत

- **सत्यनिष्ठा (Integrity):** व्यक्तिगत मूल्यों और आधिकारिक आचरण के बीच निरंतरता बनाए रखना।
- **वस्तुनिष्ठता (Objectivity):** निर्णय साक्ष्य-आधारित और पूर्वाग्रह से मुक्त होने चाहिए।
- **जवाबदेही (Accountability):** लोक अधिकारियों को प्रत्येक प्रशासनिक कार्रवाई के लिए जवाबदेह रहना चाहिए।
- **करुणा (Compassion):** नीतियों को विशेष रूप से वंचित और कमजोर वर्गों की रक्षा करनी चाहिए।
- **दृढ़ विश्वास का साहस (Courage of Conviction):** एक नैतिक सिविल सेवक को व्यक्तिगत परिणामों के बावजूद गैर-कानूनी आदेशों का विरोध करना चाहिए।

नैतिक शासन का समर्थन करने वाले संस्थागत तंत्र

- केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)
- केंद्रीय सूचना आयोग (RTI ढांचा)

- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
- लोकपाल और लोकायुक्त
- सिविल सेवकों के लिए आचरण नियम (Conduct Rules)
- नागरिक चार्टर (Citizen Charters)
- ई-गवर्नेंस पहल (जो विवेक को कम करती है और पारदर्शिता बढ़ाती है)

आगे की राह

- सिविल सेवाओं में शामिल होने के दौरान और बाद में नीतिशास्त्र प्रशिक्षण को मजबूत करें।
- केवल नियम-आधारित अनुपालन के बजाय मूल्य-आधारित नेतृत्व को बढ़ावा दें।
- व्हिसलब्लोअर संरक्षण को प्रोत्साहित करें।
- मानव विवेक (discretion) को कम करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस का उपयोग करें।
- नैतिक व्यवहार को पुरस्कृत करने वाले संस्थागत तंत्र विकसित करें।
- डर के बजाय सत्यनिष्ठा पर आधारित संगठनात्मक संस्कृतियों को बढ़ावा दें।

निष्कर्ष

नैतिक नेतृत्व लोकतांत्रिक शासन की नींव है। जबकि कानून यह परिभाषित करते हैं कि लोक सेवक क्या कर सकते हैं, नीतिशास्त्र यह निर्धारित करता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। परस्पर विरोधी हितों वाली स्थितियों में, संवैधानिक मूल्य, सत्यनिष्ठा और जन कल्याण ही मार्गदर्शक सिद्धांत बने रहने चाहिए। एक सिविल सेवक जो नैतिक साहस के साथ दक्षता को जोड़ता है, न केवल कुशल प्रशासन में योगदान देता है बल्कि लोकतंत्र में नागरिकों के विश्वास को भी मजबूत करता है।

मूल्य संवर्धन (Value Addition)

सार्वजनिक जीवन के नोलन के सात सिद्धांत (Nolan's Seven Principles)

सिद्धांत	सिविल सेवाओं के लिए प्रासंगिकता
स्वार्थहीनता (Selflessness)	निर्णय केवल जनहित में।
सत्यनिष्ठा (Integrity)	हितों के टकराव से बचना।
वस्तुनिष्ठता (Objectivity)	योग्यता-आधारित निर्णय लेना।
जवाबदेही (Accountability)	नागरिकों के प्रति जवाबदेही।
खुलापन (Openness)	शासन में पारदर्शिता।

सिद्धांत	सिविल सेवाओं के लिए प्रासंगिकता
ईमानदारी (Honesty)	आधिकारिक आचरण में सच्चाई।
नेतृत्व (Leadership)	व्यक्तिगत उदाहरण पेश करके नेतृत्व करना।

नैतिक शासन को निर्देशित करने वाले संवैधानिक मूल्य

संवैधानिक मूल्य	प्रशासनिक अनुप्रयोग
न्याय (Justice)	निष्पक्ष और न्यायसंगत निर्णय।
समता (Equality)	गैर-भेदभावपूर्ण शासन।
स्वतंत्रता (Liberty)	मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा।
बंधुत्व (Fraternity)	समावेशी और करुणामय प्रशासन।
कानून का शासन (Rule of Law)	कानूनों का समान अनुप्रयोग।
संवैधानिक नैतिकता	व्यक्तिगत या राजनीतिक हितों से ऊपर संवैधानिक आदर्शों को बनाए रखना।

मुख्य परीक्षा (GS Paper-II | समसामयिकी | 15 अंक | 250 शब्द)

Q.5 "तीसरा भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय संबंधों के व्यापार-केंद्रित साझेदारी से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने का प्रतीक है। शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों का परीक्षण कीजिए और भारत के रणनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक हितों के लिए इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए।" (15 अंक)

नमूना उत्तर

परिचय

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership - CSP) का दर्जा दिया था। मेलबर्न में आयोजित तीसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन (जुलाई 2026) ने व्यापार और शिक्षा से आगे बढ़कर रक्षा, समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज (critical minerals), उन्नत प्रौद्योगिकियों, स्वच्छ ऊर्जा और हिंद-प्रशांत शासन तक सहयोग का विस्तार करके एक नया मील का पत्थर स्थापित

किया। यह शिखर सम्मेलन एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत के लिए प्रतिबद्ध दो प्रमुख लोकतंत्रों के बीच हितों के बढ़ते अभिसरण को दर्शाता है।

शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम

1. रक्षा और समुद्री सुरक्षा को मजबूती

- रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा को अपनाना।
- वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद की स्थापना।
- पारस्परिक रसद सहायता व्यवस्था (Mutual Logistics Support Arrangement) के तहत सैन्य अंतर-संचालनीयता (interoperability) का विस्तार।
- समुद्री क्षेत्र की जागरूकता (Maritime Domain Awareness) और हिंद महासागर की सुरक्षा में अधिक सहयोग।

2. आर्थिक साझेदारी का विस्तार

- व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) को अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि।
- आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA) का निरंतर कार्यान्वयन।
- गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने और द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देने पर ध्यान।
- सीईओ फोरम के माध्यम से व्यवसायों के बीच अधिक सहयोग।

3. महत्वपूर्ण खनिज और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन

- लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्वों (rare earth elements) जैसे महत्वपूर्ण खनिजों पर गहरी साझेदारी।
- दीर्घकालिक आपूर्ति व्यवस्था और मूल्यवर्धन को बढ़ावा।
- रणनीतिक उद्योगों के लिए लचीली और विविध वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण का प्रयास।

4. प्रौद्योगिकी और नवाचार

निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग:

- साइबर सुरक्षा
- महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियां (Critical and emerging technologies)
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)
- अंतरिक्ष सहयोग
- उन्नत विनिर्माण (Advanced manufacturing)

अकादमिक और औद्योगिक संस्थानों के बीच अनुसंधान एवं नवाचार साझेदारी को मजबूत करना।

5. हिंद-प्रशांत सहयोग

- क्वाड (Quad) के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई।

- हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) के माध्यम से सहयोग बढ़ाया गया।
- नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था और नौवहन की स्वतंत्रता का समर्थन।
- भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया को शामिल करते हुए त्रिपक्षीय सहयोग का विस्तार।

भारत के लिए महत्व

रणनीतिक महत्व

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करता है।
- हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाता है।
- एक विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार के साथ रक्षा अंतर-संचालनीयता में सुधार करता है।
- भारत के विजन सागर (SAGAR - Security and Growth for All in the Region) का समर्थन करता है।

आर्थिक महत्व

- भारत की व्यापार साझेदारियों का विविधीकरण करता है।
- निम्नलिखित के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुँच सुरक्षित करता है:
 - इलेक्ट्रिक वाहन (EVs)
 - सेमीकंडक्टर निर्माण
 - नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ
- 'मेक इन इंडिया' के तहत विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करता है।

भू-राजनीतिक महत्व

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक साझेदारियों को सुदृढ़ करता है।
- भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं में योगदान देता है।
- क्वाड, IORA और G20 जैसे बहुपक्षीय मंचों में सहयोग को बढ़ाता है।

चुनौतियाँ

- CECA को अंतिम रूप देने में देरी।
- गुटबाजी की राजनीति पैदा किए बिना रणनीतिक सहयोग को संतुलित करना।
- रक्षा और प्रौद्योगिकी समझौतों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखला व्यवधानों और भू-रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का प्रबंधन।

आगे की राह

- CECA के समापन में तेजी लाएं।
- 'मेक इन इंडिया' के तहत रक्षा निर्माण में सहयोग गहरा करें।

- संयुक्त नौसेना अभ्यासों और समुद्री गश्त/निगरानी का विस्तार करें।
- महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल नवाचार में सहयोग मजबूत करें।
- शैक्षणिक आदान-प्रदान, कुशल गतिशीलता (skilled mobility) और जन-दर-जन संबंधों को बढ़ावा दें।

निष्कर्ष

तीसरा भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिसरित रणनीतिक हितों को दर्शाते हुए द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। रक्षा, व्यापार, महत्वपूर्ण खनिज, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग का विस्तार करके, दोनों देशों ने अधिक लचीली और भविष्य उन्मुख साझेदारी की नींव रखी है। जैसे-जैसे हिंद-प्रशांत में भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र हो रही है, एक मजबूत भारत-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक समृद्धि और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मूल्य संवर्धन (Value Addition)

प्रमुख परिणाम एक नज़र में

क्षेत्र	प्रमुख परिणाम
रक्षा	रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा
सुरक्षा	वार्षिक रक्षा मंत्रियों का संवाद
व्यापार	CECA को शीघ्र अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता
महत्वपूर्ण खनिज	दीर्घकालिक आपूर्ति श्रृंखला सहयोग
प्रौद्योगिकी	साइबर, AI, अंतरिक्ष और उभरती प्रौद्योगिकियां
समुद्री	हिंद महासागर सहयोग और समुद्री क्षेत्र जागरूकता
क्षेत्रीय सहयोग	क्वाड, IORA और भारत-ऑस्ट्रेलिया-इंडोनेशिया त्रिपक्षीय